

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अरंडिया			पटवारी हल्का: अरंडिया			तहसील: कनाडिया			जिला: इन्दौर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जत प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीक 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के रिचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1198901417 80ZKH7D816PPH0	196/T(S)		0.4050 हेक्टेयर  व्यावसायिक  रु.16200.00	अमर कृष्णा लिजर प्रा.लि. तर्फे डाय. मोहित पिता राजकुमार अरोरा नि 6/5 मनोरमार्गज इन्दौर भूमि स्वामी							प्रकरण क्रमांक 53 आदेश दिनांक 17/08/2016 एवं धारा संख्या 59 के अनुसार खसरा नंबर 196/1 का क्षेत्रफल 4050 (वर्ग मी.) व्यपवर्तित किया गया।  न्याया.तहसीलदार तहसील इन्दौर के रा.प्र.क्र. 77/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 5/3/2013 एवं तहसीलदार के पत्र क्रमांक 1180/री.त/13 दिनांक 7/3/2013 द्वारा संशोधन किया गया ना प क्र 3/12-13 आदेश दिनांक 19/7/2013 द्वारा क्रेता का नाम लागू, नोट- ना.प.क्र. 3 के स्थान पर ना.प.क्र. 5 पढा जावे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट